

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122022-241105 CG-DL-E-15122022-241105

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784] No. 784] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

#### खान मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 878(अ).— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, महानियंत्रक, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2008 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में महानियंत्रक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्-:

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, महानियंत्रक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2)से स्तम्भ (4)में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—न नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या
				अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महानियंत्रक ।	1∗ [एक] (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16	चयन।
		'क', अननुसचिवीय ,	(205400-224400 रु.)	
	*कार्यभार के आधार	राजपत्रित।		
	पर परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या	•	भर्ती की पद्धति :भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता के माध्यम से।
(6)	(7)	नहीं। (8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

## प्रोन्नति:

ऐसे मुख्य खान नियंत्रक या निदेशक (अयस्क प्रसाधन) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में स्तर-15 के वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये (में एक वर्ष की सेवा की है।

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

## प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

- क. संगठित समूह 'क' सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी ,-
- (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-15 के वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियक्ति के बाद उस श्रेणी में एक वर्ष की सेवा की है; और
- (ख) खान और खनिज से संबंधित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; या
- ख. उपर्युक्त (क) को छोड़कर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त शासी निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;
- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-15 के वेतन मैट्रिक्स (182200-224100 रुपये) में या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में एक वर्ष की सेवा की है; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों :
  - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से खनन इंजीनियरी या खनिज इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म विज्ञान में इंजीनियरी मे स्नातक या तकनीकी; या
  - (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या अयस्क प्रसाधन या रसायन विज्ञान या भौतिकी में मास्टर डिग्री;
- (iii) निम्नलिखित 25 वर्ष का अनुभव;
  - I. मेटलीफेरस )गैर-कोयला (खान जिनमें स्नातक या प्रबंधन या कनिष्ठ प्रशिक्ष् इंजीनियर के रूप में; या
  - II. खान और खनिज से संबंधित सरकारी विभागों में खान और खनिज से संबंधित समूह 'क' अधिकारी के रूप में; या
  - III. अयस्क प्रसाधन या खनिज सज्जीकरण या खनिज संचय करने वाली प्रयोगशाला या संयंत्र में अनुसंधान मार्गदर्शक।

टिप्पण-1: प्रोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। <mark>टिप्पण-2:</mark> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण -3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति )प्रोन्नति के संबंध में विचार करने	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
के लिए( जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी -:	संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक
1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष;	सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।
2. सचिव, खान मंत्रालय- सदस्य;	
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग- सदस्य।	

[फा. सं. 22/1/2018- खान III- भाग (1)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

# MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

- **G.S.R. 878(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Controller General, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller General in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely: —
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Controller General (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether	Age-limit for
post.				selection post or	direct recruits.
				non-selection	
				post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Controller	1* [One]	General Central	Level-16 in the pay	Selection.	Not applicable.
General.	(2022)	Service, Group	matrix (Rs. 205400-		
	* Subject to	'A', Non-	224400).		
	variation	Ministerial,			
	dependent on	Gazetted.			
	workload.				

Educational and other	Whether age and	Period of	Method of recruitment whether by
qualifications required	educational qualifications	probation, if any.	direct recruitment or by promotion or
for direct recruits.	prescribed for direct recruits		by deputation/ absorption and
	will apply in the case of the		percentage of posts to be filled by
	promotees.		various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which deputation
			including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

#### **Promotion:**

Chief Controller of Mines or Director (Ore Dressing) in level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100) with one year of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

## **Deputation (Including short-term contract):**

- A. Officers of the organised Group A Services or All India Services,—
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with one year of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing minimum of three years' experience in Ministries or Departments of the Central Government or States Government dealing with mines and minerals; or
- B. Officers of the Central Government other than (A) above, States Government or the Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or University or recognised research institution,—
- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with one year of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-15 in the pay matrix (Rs.182200-224100) or equivalent in the parent cadre or department; and

- (b) possessing the following educational qualifications and experience,—
- (i) Bachelor of Engineering or Technology in Mining Engineering or Mineral Engineering or Chemical Engineering or Metallurgy from a recognised University or institute; or
- (ii) Masters Degree in Geology or Applied Geology or Ore Dressing or Chemistry or Physics from a recognised University or institute;
- (iii) 25 years' experience in -
- I. Metalliferous (Non-coal) mines which includes the period as graduate or management or junior trainee engineer; or
- II. Government Department dealing with mines and minerals as Group A officer dealing with mines and minerals; or
- III. Guiding research in a Laboratory or in a Plant conducting Ore Dressing or Mineral Beneficiation or Mineral Agglomeration work.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.
- **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-eight years, as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee: (for considering promotion) consisting of: -  1. Chairman or Member, Union Public Service Commission — Chairman;  2. Secretary, Ministry of Mines — Member;  3. Secretary, Department of Personnel and Training— Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short- term contract).

[F. No. 22/1/2018-M.III-Part (1)] SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.